न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 056/2025
अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. नरेन्द्र सहारण पुत्र श्री जय सिंह निवासी गांव बानीरामवाला (एच एच) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

......**वादी**

बनाम

1. जय सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी दानीराम वाला (8 एचएच) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार ......**प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 एवं धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बरबिनाए जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

उपस्थित– श्री सुभाष मिढढा (वादी)
श्री विरेन्द्र पाल सिंह (प्रतिवादी 01)
श्री राज पैरोकार (प्रतिवादी 02)

दिनांकः– 11 नवम्बर, 2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार यह कि वादी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा काश्तकारी पेशा है। वादी का रजिस्टर्ड पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के अनुसार वही है जो वाद के शीर्षक में अंकित है। वाद दो प्रतियों में पेश है तथा वादी का वाद के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या–1 वादी का पिता है जिसके नाम से चक 8 एच एच पटवार हल्का 8 एच एच तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या–14/12 मुरब्बा नम्बर–25 का किला नम्बर–1/2.2.9.10/1.10/2. 11/1–11/2.12, 19.20/1.20/2.21/1.21/2.22/1.22/2 में 2.3520 हैक्टेयर नहरी एवं 0.1780 हैक्टेयर खाल एवं मुरख्या नम्बर–30 का किला नम्बर–1/1 1/2 किला नम्बर–2 से 9 सालम 10/1,10/2.11/1.11/212 ता 19, 20/1,20/2,21/1. 21/2. 22 से 25 कुल 6.0750 हैक्टेयर नहरी भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 8.7300 हैक्टेयर है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या–1 को पूर्वजों से अर्थात दादा रामचन्द्र वल्द गिरधारी से प्राप्त है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादी की बहने शादीशुदा है तथा अपने–अपने घरों में आबाद है। वादी का उक्त भूमि में हक व हिस्सा होने के कारण प्रतिवादी द्वारा वादी को चक 8 एचएच तहसील श्रीगंगानग के खाता संख्या 14/12 के मुरब्बा नं. 30 के किला नं 18 से 25 जो कि किला नं. 18 में 0.253 है., 19 में 0.253 है., [illegible] 0.0250 है खाला एवं 20/1 में .2280है., 20/2 में .250है., 21/1 में 0.2280 है. [illegible] भूमि 8 बीघा घरु [illegible]वारा बाटकर दी हुई है 22 से 25 प्रत्येक में 0.253 हैक्टेयर कुल [illegible] आ रहा है तथा जो उक्त भूमि 12 वर्ष से अधिक अवधि से [illegible] संख्या– 1 के कब्जा वादी उक्त भूमि को काश्त करता आ रहा है [illegible] संख्या– 1 के नाम से में चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी [illegible] अपने कब्जा काश्त की चली आ रही है जिस सम्बन्ध में वादी द्वारा कई बार प्रतिवादी [illegible] भूमि को हकदार घोषित करवाने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू आग्रह किया जाता रहा है परन्तु प्रतिवादी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल–मटोल करता आ रहा है जबकि वादी को अपना कब्जा काश्त की भूमि को सुधारने एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी काफी कठिनाई हो रही है। भुमि सयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से वंचित हो रहा है। उक्त कृषि भूमि राजस्व

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम से होने के कारण प्रतिवादी विक्रय करने की कोशिश में है जिस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा गांव में कई लोगों से तथा प्रोपर्टी डीलरों से बातचीत भी कर रहा है जिसकी जानकारी वादी को दिनांक–20/05/2025 को होने पर वादी द्वारा अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि वादी के नाम लगवाने हेतु निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कारी कर दी तथा यह कहा कि प्रश्नगत भूमि का मालिक मैं हूं। मैं जिस प्रकार से चाहूंगा, वैसा ही होगा। इस कारण वादी के पास उक्त वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प ना होने के कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इस कारण वाद वादी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का होने के कारण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या–2 जो भूमि स्वामी है इसलिए आवश्यक पक्षकार होने के कारण बत्तौर प्रतिवादी संख्या–2 स्थापित किया गया है। अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी. विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। (क) डिक्री घोषणा इस आश्य की पारित की जावे कि चक 8 एच एच पटवारी हल्का 8 एचएच तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या–14/12, मुरब्बा न म्बर–30 का किला नम्बर–18 से 25 कुल 8 बीघा कृषि भूमि जो जद्दी जायदाद होने तथा प्रतिवादी संख्या– 1 द्वारा वादी को मौखिक रूप से समझौतानुसार दे रखी है, जो वादी के कब्जा काश्त में काफी वर्षों से चली आ रही है का खातेदार, काश्तकार हकदार है। वादी को हकदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में पृष्ठाकंन करने की डिक्री सादिर की जावे।

दिनांक 16.09.2025 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादी की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री सुभाष मिढढा एंव प्रतिवादी की शिनाख्त प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री विरेन्द्र पाल सिंह द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादी उक्त वाद को निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैः–

जो कि प्रथम पक्षकार नरेन्द्र सहारण द्वारा माननीय न्यायालय में पैतृक कृषि भूमि वाका चक 8 एच एच तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर–25 व 30 में कृषि भूमि 8.7300 हैक्टेयर में से घरू बंटवारा में चक 8 एच एच के खाता संख्या– 14/12 मुरब्बा नम्बर– 30 के किला नम्बर– 18 में 0.253 है0 19 में 0.253 है0, 20/1 में 0.2280 है0, 20/2 में 0.0250 है., 21/1 में 0.2280 है., 21/2 में 0.0250 है. खाला एवं किला नम्बर–22 से 25 प्रत्येक सालम कुल 8 बीघा अरसा दराज से यानि 12 सालों से अधिक समय से कब्जा में होने के कारण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया, जिस पर पक्षकारान का पंचायत/बिरादरी द्वारा राजीनामा करवा दिया है। राजीनामा अनुसार वाद पत्र में चाही गयी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर–30 किला नम्बर–18 से 25 कुल 8 बीघा रकबा प्रथम पक्षकार को दिया गया है जिस पर प्रथम पक्षकार का कब्जा 12 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है। प्रथम पक्षकार द्वारा किया गया वाद डिक्री किये जाने पर द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री फरमाया जाना न्यायोचित है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त [illegible] ध्यान में रखते हुए प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार [illegible]

दिनांक 29.10.2205 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत [illegible] को सुरक्षित रखते हुए निर्णय पारित किये जाने में राज्य पक्ष को एतराज नहीं है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। प्रस्तुत बह[illegible] का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 8 एच एच, पटवार हल्का गोविन्दपुरा, भू0. अभि0 नि0 क्षेत्र गंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2073 के खाता संख्या 14/12 एवं इसी चक चक 8 एच एच, पटवार हल्का गोविन्दपुरा, भू0. अभि0 नि0 क्षेत्र गंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2026 से सम्वत् 2035 के खाता संख्या 24 की प्रमाणित प्रतिलिपि का

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक ([illegible]) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर **वादी संख्या 01 नरेन्द्र सहारण पुत्र जय सिंह** को चक 8 एच एच तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर–25 व 30 में कृषि भूमि 8.7300 हैक्टेयर में से घरू बंटवारा में चक 8 एच एच के खाता संख्या– 14/12 मुरब्बा नम्बर– 30 के किला नम्बर– 18 में 0.253 है0 19 में 0.253 है0, 20/1 में 0.2280 है0, 20/2 में 0.0250 है0, 21/1 में 0.2280 है0, 21/2 में 0.0250 है0 खाला एवं किला नम्बर–22 से 25 प्रत्येक सालम कुल 8 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

अतः तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित कृशि भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने व किसी प्रकार की राजस्व हानि होती है तो उसकी पूर्ति हेतु नियमानुसार स्टाम्प/पंजीयन भुाल्क प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 11.11.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 056/2025
अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. नरेन्द्र सहारण पुत्र श्री जय सिंह निवासी गांव बानीरामवाला (एच एच) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

......वादी

बनाम

1. जय सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी दानीराम वाला (8 एचएच) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार

......प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 एवं धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बरबिनाए जमाबन्दी सम्वत् 2071–74

उपस्थित– श्री सुभाष मिढढा (वादी)
श्री विरेन्द्र पाल सिंह (प्रतिवादी 01)
श्री राज पैरोकार (प्रतिवादी 02)

दिनांकः– 11 नवम्बर, 2025

वादपत्र संख्या 056/2025
अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री सुभाष मिढढा व प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता श्री विरेन्द्र पाल सिंह पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 02 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादी स्वीकार किया जाकर **वादी संख्या 01 नरेन्द्र सहारण पुत्र जय सिंह** को चक 8 एच एच तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर–25 व 30 में कृषि भूमि 8.7300 हैक्टेयर में से घरू बंटवारा में चक 8 एच एच के खाता संख्या– 14/12 मुरब्बा नम्बर– 30 के किला नम्बर– 18 में 0.253 है0 19 में 0.253 है0, 20/1 में 0.2280 है0, 20/2 में 0.0250 है0, 21/1 में 0.2280 है., 21/2 में 0.0250 है0 खाला एवं किला नम्बर– 22 से 25 प्रत्येक सालम कुल 8 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा [illegible] ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा [illegible] को जारी की

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक [illegible] 2025 को जारी की गयी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested

स्वा[illegible]गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.12.11 13:11:35 IST
Reason: SelfAttested